

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या— .....14...../2025  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर— 2025 / ...14

प्रार्थी

आधार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, का बनाम  
रजिस्टर्ड कार्यालय द्वितीय फ्लोर नम्बर  
3, जी वी टी टॉवर्स, आठवी ए मेन  
रोड, एस.आर. नगर, बंगलरू-560027,  
शाखा कार्यालय—नम्बर-817, ए-1,  
समर्थी टॉवर, चौपासनी रोड, प्रताप  
नगर, जोधपुर 342001 राजस्थान में  
स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत  
अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह

अप्रार्थीगण

- 1- Hira Lal  
Add- 774, Near Pura Ram ji maharaj  
aashram Bas Rupasar Tausar,  
Nagaur, Rajasthan – 341001  
Also Add- Missal no. 122 2018 19  
Bas Rupasar Patta no. 39, Missal no  
122 2018 19 Bass Rupasar Gram  
Tuasar Nagaur, Rajasthan 340001
- 2- Sanju Hira Lal  
Add- 774, Near Pura Ram ji maharaj  
aashram Bas Rupasar Tausar,  
Nagaur, Rajasthan – 341001
- 3- Mani Ram  
Add- Rupasar Tausar, Nagaur,  
Rajasthan – 341001

आदेश

दिनांक: 24/01/2025  
28/01/2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 3,81,121/- (अक्षरे तीन लाख इक्यासी हजार एक सौ इक्कीस रुपये मात्र) दिनांक 20.11.2020 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति— All That Piece and parcels of residential property patta no. 39, Book no. 07, Missal no. 122, Sankalp no. 08, G P- Tausar, The-Nagaur, Dist. Nagaur, Rajasthan पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल व चतुर्सीमायें निम्न प्रकार— उत्तर में मालियों की बाडी (खेत), दक्षिण — आम रास्ता व निकाल, पूर्व में आबादी की खुली जमीन व पश्चिम में दयाल राम का मकान है। माप— 102.79 : (3x3) वर्गगज, 925.15 वर्ग फुट है, प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 08.09.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 4,05,693/- (अक्षरे चार लाख पांच हजार छः सौ तिरानवे रुपये मात्र) दिनांक 09.09.2024 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 12.08.2024 को रजिस्टर्ड दिये गये एवं उक्त नोटिस का अखबार प्रकाशन भी करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये रुपये 4,05,693/- (अक्षरे चार लाख पांच हजार छः सौ तिरानवे रुपये मात्र) दिनांक 09.09.2024 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण में सम्पत्ति- All That Piece and parcels of residential property patta no. 39, Book no. 07, Missal no. 122, Sankalp no. 08, G P-Tausar, The-Nagaur, Dist. Nagaur, Rajasthan पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल व चर्तुसीमायें निम्न प्रकार- उत्तर में मालियो की बाडी (खेत), दक्षिण - आम रास्ता व निकाल, पूर्व में आबादी की खुली जमीन व पश्चिम में दयाल राम का मकान है। माप- 102.79 : (3x3) वर्गगज, 925.15 वर्ग फुट है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 3,81,121/- (अक्षरे तीन लाख इक्कासी हजार एक सौ इक्कीस रुपये मात्र) दिनांक 20.11.2020 का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा उसे का कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला



2  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति— **All That Piece and parcels of residential property patta no. 39, Book no. 07, Missal no. 122, Sankalp no. 08, G P-Tausar, The-Nagaur, Dist. Nagaur, Rajasthan** पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका क्षेत्रफल व चतुर्सीमायें निम्न प्रकार— उत्तर में मालियों की बाडी (खेत), दक्षिण – आम रास्ता व निकाल, पूर्व में आबादी की खुली जमीन व पश्चिम में दयाल राम का मकान है। माप— 102.79 : (3x3) वर्गगज, 925.15 वर्ग फुट है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, जो प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



25  
(अरुण कुमार पुरोहित)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर.